यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी

फार्म यंत्रीकरण कृषि के आधुनिकीकरण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। फॉर्म की उत्पादकता सकारात्मक रूप से कुशल फार्म कार्यान्वयनों और उकने न्यायोचित उपयोग के साथ फॉर्म के लिए विद्युत की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कृषि पंजीकरण से हम न केवल विभिन्न साधनों जैसे बी, उर्वरक, पौध संरक्षण रसायनों और सिंचाई के लिए जल के दक्षतापूर्वक उपयोग कर सकते हैं अपितु यह खेती को कुशल उद्यम बनाकर गरीबी उन्मूलन करने में भी सहायक है। कृषि और सहकारिता विभाग ने फॉर्म यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बहुस्तरीय कार्यनीति बनाई है:-

विभाग "नए विकसित उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण और प्रदर्शन की आउटसोर्सिंग" के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण को बढ़ाने के लिए एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य कृषि उपकरणों और मशीनरी के बारे में इनके अंतिम उपयोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता सृजित कर रहा है। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारें उन्नत/नए विकसित किए गए कृषि/बागवानी संबंधी उपकरणों, जिनकी पहचान उनके द्वारा की गई है, का प्रदर्शन किसानों के खेतों में करती है ताकि किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की पैदावार में उनके प्रयोग और उपयोगिता के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। वर्ष 2010-11 के दौरान इसके लिए 10.91 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया। कुल परिव्यय में से 50 लाख रुपये के परिव्यय को पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किया गया।

फसल कटाई पश्चात् प्रबंधक विभाग का एक प्रमुख क्षेत्र होने के नाते ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 40.0 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी और प्रबंधक" नामक योजना कार्यान्वित कर रहा हौ इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीएसआईआर, और कृषि उत्पाद के प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, कम लागत के वैज्ञानिक भंडारण और परिवहन में लगी स्वदेशी और विदेशी एजेंसियों द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी को संवर्धित किया जा रहा है ताकि फसल कटने के बाद नुकसान कम से कम हो। फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के मुख्य घटक कार्यक्रमों में प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सस्ती फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी (पीएचटी) की इकाइयों को स्थापित करना, पीएचटी उपकरणों की सरकारी सहायता से अंतिम प्रयोक्ताओं तक आपूर्ति करना, पीएचटी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और किसानों उद्यमियों तथा वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण देना शामिल है। इसके लिए वर्ष 2010-11 के दौरान 7 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें से 50 लाख रुपये पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

उपर्युक्त कार्यों के अलावा, विभाग किसानों को कृषि उपकरण सस्ते दामों पर उपलब्ध कराकर फार्म यंत्रीकरण को बढ़ावा दे रहा है। विभिन्न उपकरण श्रेणियों के लिए संशोधित "व्यापक कृषि प्रबंधन (एमएमए)" के तहत उपकरणों की खरीद पर 25-50 प्रतिशत की

राजसहायता दी जा रही है। ट्रैक्टरों और पावर टाइलरों के लिए राजसहायता उन मोडलों पर उपलब्ध है जिन्हें इस विभाग द्वारा संस्थानिक वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया है। ट्रेक्टरों पावर टाइलरों के अलावा, संयुक्त फसल कटाई के साधन किसानों को राजसहायता की अनुमोदित पद्धति के अनुसार उपलब्ध है। हो सकता है कि एक व्यक्तिगत किसान के रूप में वे अपनी लागत से उच्च दामों वाले उपकरण न खरीद सकें, परंतु किसानों के स्वसहायता समूह (एसएचजी) प्रयोक्ता समूह, किसानों की सहकारी संस्थाएं इत्यादि को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया गया है। गत वर्षों में भारत सरकार निजी क्षेत्र की समान भागीदारी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, इन वर्षों में खेती के साधन के रूप में ट्रेक्टरों और पावर टाइलरों की बिक्री से यंत्रीकरण अपनाने का साक्ष्य मिलता है जैसे कि नीचे तालिका I में दिया गया है:-

वर्ष	ट्रेक्टरों की बिक्री (संख्या)	पावर टाइलर्स की बिक्री (संख्या)
2004-05	2,47,531	17,481
2005-06	2,96,080	22,303
2006-07	3,52,835	24,791
2007-08	3,46,501	26,135
2008-09	3,42,836	35,294
2009-10 (नवम्बर, 2009 तक	2,39,789	18,375

इसके परिणामस्वरूप कुल फार्म वियुत उपलब्ध 1971-72 में 0o.295 कि.वाट प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 2005-06 में 1.502 कि.वा./प्रति हेक्टेयर

किसानों और तकनीकीविदों का प्रशिक्षण

फार्म यंत्रीकरण प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान (एफएमटीटीआई) जो कि बुदनी (मध्य प्रदेश), हिसार (हरियाणा), गैरालडिने (आन्ध्र प्रदेश) और विश्वनाथ चरियाली (असम) में स्थित हैं, कृषि उपकरणों के चयन, प्रचालन, अनुरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन में किसानों, तकनीकीविदों, सेवा निवृत्त/सेवा निवृत्त हो रहे रक्षा कर्मियों इत्यादि को प्रशिक्षण देते रहे हैं। ये संस्थान विभिन्न कृषि कार्यान्वयकों और मशीनों का परीक्षण और निष्पादन मूल्यांकन भी करते रहे हैं। ये संस्थान विभिन्न कृषि कार्यान्वयकों और मशीनों का परीक्षण और निष्पादन मूल्यांकन भी करते रहे हैं। 2009-10 के दौरान 31 मार्च, 2010 तक विभिन्न पाठ्यक्रमों में 5600 के वार्षिक लक्ष्य के विपरीत 5278 व्यक्तियों को प्रशिक्षण किया गया। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रशिक्षण का लक्ष्य दसवीं योजना के 25,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य से बढ़कर 28,000 कर दिया गया। मानव संसाधन विकास में एफएमटीटीआई के प्रयासों को समर्थित करने के लिए दसवीं योजना के दौरान राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि इंजीनियरी कॉलेजों, पोलीटेक्नीक

इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण को आउटसोर्स किया गया। किसानों के प्रशिक्षण के लिए पहचान किए गए संस्थानों को 5200 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की भरपाई की जाती है, जिसमें 1200 रुपये की छात्रवृत्ति और परिवहन के सामान्य साधन से आने-जाने का किराया भी शामिल है। ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग करने का लक्ष्य 10,000 व्यक्ति है। 2009-10 के लिए वास्तविक लक्ष्य 2000 कृषक थे।

फॉर्म मशीनरी का परीक्षण और मूल्यांकन

वुदनी संस्थान को ट्रेक्टरों और अन्य कृषि मशीनों पर परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है जबकि हिसार संस्थान को स्वचालित संयुक्त फसल काटने वाले यंत्रों, सिंचाई पंपों, पौध संरक्षक उपकरणों, कृषि कार्यान्वयन और अन्य मशीनों पर परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। यह संस्थान संयुक्त हारवेस्टर का सीएमवीआर प्रमाण पत्र भी जारी करेगा। गैरालडिने संस्थान को पावर टाइलरों तथा विभिन्न कृषि कार्यान्वयकों/उपकरण पुर्जों पर परीक्षण करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस संस्थान को वर्षा सिंचित और शुष्क भूखेती प्रणालियों में यंत्रीकरण की मांग को पूरा करने के लिए एक विशिष्ट संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। विश्वनाथ चरियाली (असम) बैलों द्वारा खींचने वाले उपकरणों, हाथ से प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों, ट्रेक्टरों द्वारा खींचे जाने वाले उपकरणों, स्वचालित मशीनों और छोटे हाथ के औजारों पर परीक्षण करता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए परीक्षण का लक्ष्य 550 मशीनों/औजारों की जांच करना रखा गया है।

चारों एफएमटीटी संस्थानों ने अब तक वर्ष 2009-10 के लिए 110 के लक्ष्य के विपरीत 31 मार्च, 2010 तक ट्रेक्टरों, पावर टाइलरों, संयुक्त हारवेस्टरों, रीपरों, रोटावेटरों और अन्य उपकरणों सहित विभिन्न श्रेणी की 211 मशीनों की जांच की है।

शेष ग्यारहवीं योजनावधि 2009-10, 2010-11, 2011-12 के दौरान एफएमटीटीआई वुढनी के विकास के लिए 17.33 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जिसमें प्रमुख उपकरणों और मशीनों को जांच के लिए खरीदना शामिल है।

कृषि/बागवानी के नये विकसित किए गए उपकरणों का प्रदर्शन

उत्पादन और पैदावार को बढ़ाने के लिए एवं उत्पादकता की लागत को कम करने के लिए कृषि उत्पादन प्रणाली में उन्नत/नयी प्रौद्योगिकी को शामिल करना अनिवार्य है। इसलिए, इस पहलू के दृष्टिगत किसानों के खेतों में बागवानी उपकरणों सहित नये विकसित किए गए कृषि उपकरणों का प्रदर्शन को पुर्नगठित योजना के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। **प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढीकरण** नामक योजना को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में उन्नत/नये विकसित किए गए कृषि/बागवानी उपकरणों, जिन्हें राज्य सरकार/सरकारी संगठनों द्वारा किसानों के खेतों में दिखाने के लिए पहचाना गया है, का प्रदर्शन करना, किसानों को उनके

प्रयोग के संबंध में जानकारी देना तथा विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए उनकी उपयोगिता को शामिल किया गया है।

वर्ष 2009-10 के दौरान (31 दिसम्बर, 2009 तक) किए गए प्रदर्शनों की संख्या 7407 थी जिसमें 2634 हेक्टेयर जमीन को फील्ड मशीनों के साथ और 13638 घंटे स्थिर मशीनों को शामिल किया गया था जिसमें 1,51,134 किसानों ने भाग लिया।

- **प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढीकरण के लिए लिंक पेज**

कृषि योजना संबंधी व्यापक प्रबंधन के अंतर्गत फार्म यंत्रीकरण कार्यक्रम:

किसानों को हाथ के औजार, बैल के खींचने वाले/विद्युत से चलाये जाने वाले उपकरण, पोधारोपण, कटाई, फसल कटाई और सफाई उपकरण, ट्रेक्टर, पावर टाइलर सहित कृषि उपकरण और अन्य विशिष्ट कृषि मशीनों की खरीद के लिए अनुमान्य अधिकतम सीमा के साथ खरीद लागत का 25 से 50 प्रतिशत की दर से कृषि संबंधी व्यापक प्रबंधन की केन्द्र की प्रायोजिक योजना के तहत राजसहायता के रूप में सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सरकारों से मिली जानकारी से पता चलता है कि वर्ष 2009-10 के दौरान (31 मार्च, 2010 तक) 7008 ट्रेक्टर, 4560 पावर टाइलर, 103118 हाथ के औजार, 2501 बैलों से खींचे जाने वाले उपकरण, 9401 ट्रेक्टर से चलने वाले उपकरण, 4781 स्वचालित/विद्युत चलित उपकरण, 5280 पौध संरक्षण उपकरण, 5881 सिंचाई उपकरण और 2630 स्त्री-पुरुष दोनों के लिए अनुकूल उपकरणों की किसानों को आपूर्ति की गई।

राज्य कृषि उद्योग निगम

भारत सरकार ने राज्य सरकारों को वर्ष 1964 में सलाह दी थी कि वे सरकारी क्षेत्र में राज्य कृषि उद्योग निगम (एसएआईसी) की स्थापना करें जो किसानों को कृषि में प्रयोग के लिए औद्योगिक साधन तक पहुँच प्रदान करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार भारत सरकार और आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्णाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल की संबंधित राज्य सरकारों की इक्विटी भागीदारी से 1965 से 1970 के दौरान संयुक्त क्षेत्र में 17 राज्य कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई। अनेक राज्य सरकारों ने अपनी इक्विटी भागीदारी को बढ़ाया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में भारत सरकार की भागीदारी राज्यों से कम है। राज्य कृषि उद्योग निगमों ने तब से अपने प्राथमिक कार्यों में विस्तार किया है, जिसमें कृषि साधनों, उपकरणों, मशीनों का विनिर्माण और विपणन, बिक्री पश्चात् सेवा कृषि आधारित इकाईयों का विकास और संवर्धन शामिल है। भारत सरकार निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार को अपने शेयरों को अंतरित करने की

अनुमति देकर राज्य सरकारों को अधिक शक्ति देने की दृष्टि से राज्य कृषि उद्योग निगमों में अपने शेयरों को विनिवेश करने की नीति को कार्यान्वित कर रहा है:-

- जहाँ राज्य कृषि उद्योग निगम की कुल पूंजी धनात्मक है, भारत सरकार नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित तुलन पत्र के आधार पर शेयरों की बुक मूल्य से 25 प्रतिशत कम मूल्य पर अपने शेयर राज्य सरकारों को देने पर विचार करने के लिए इच्छुक होगी।
- उन राज्य कृषि उद्योग निगमों के मामले में जिनका कुल धन ऋणात्मक है, भारत सरकार शेयर के मूल्य के लिए 1000/- रुपये की सांकेतिक विचार हेतु अपना हिस्सा देने के लिए इच्छुक होगी।

अब तक गुजरात, कर्नाqटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान और पश्चिमी बंगाल की राज्य कृषि उद्योग निगमों में भारत सरकार के शेयर संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश, असम और जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकारों ने सिद्धांत रूप से इन राज्य कृषि उद्योग निगमों में भारत सरकार के शेयरों के अंतरण हेतु मंजूरी दे दी है।

पूर्वोत्तर राज्यों में गतिविधियां

कृषि यंत्रीकरण के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास की जरूरत को पूरा करने के लिए और उस क्षेत्र में विभिन्न कृषि उपकरणों और मशीनों के निष्पादन और गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए भी असम के सोनितपुर जिले में विश्वनाथ चरियाली में एक एफएमटीटीआई की स्थापना की गई है। इस संस्थान ने वर्ष 2009-10 के दौरान 520 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया और 31 मार्च, 2010 तक 15 मशीनों का परीक्षण किया। वर्ष 2009-10 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा **परिशिष्ट I** में दिया गया है।

फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संबंधी योजना

फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संबंधी योजना को ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान 95.00 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सीएसआईआर, और उन एजेंसियों द्वारा, जिनकी अनाजों, दालों, तिलहनों, गन्ना, सब्जियों और फलों के प्राथमिक प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन, कम लागत के वैज्ञानिक भंडारण और परिवहन में लगी स्वदेशी और विदेशी एजेंसियों द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी और फसलों के उप-उत्पादों के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जायेगा।

पीएचटीएंडएम योजना के मुख्य कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:-

(क) प्राथमिक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन, सस्ते वैज्ञानिक भंडारण, पैकेजिंग यूनिटों और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण के लिए यूनिटों की स्थापना करना और त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत उत्पादन क्षेत्र में उप-उत्पाद के लिए प्रौद्योगिकियां विकसित करना।

(ख) सरकारी सहायता से सस्ती फसल कटाई प्रौद्योगिकी यूनिटों की स्थापना/पीएचटी उपकरणों की आपूर्ति।

(ग) प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन।

(घ) किसानों, उद्यमियों और वैज्ञानिकों का प्रशिक्षण।

महिलाओं के लिए उनके अनुकूल उपकरण

2009-10 के दौरान प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढीकरण 'की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत लगभग 2630 महिलाओं के अनुकूल उपकरणों को महिला किसानों में बाँटा गया। किसानों के खेतों में बागवानी उपकरणों सहित नये विकसित किए गए कृषि उपकरणों के संबंध में प्रशिक्षण और उनका प्रबंधन के आउटसोर्सिंग की योजना के तहत अलग भौतिक लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और निधियों का 10 प्रतिशत महिलाओं, किसानों के लिए आवंटित किया गया है। 2009-10 के दौरान कुल 484 महिला किसानों को (दिसम्बर, 2009 तक) फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया। लगभग 30 महिलाओं के अनुकूल औजारों और उपकरणों की पहचान की गई सूची, जिन्हें विभिन्न खेती के प्रचालनों में प्रयोग के लिए अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है, प्रचालन के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में भेजा गया है। राज्य सरकारों को कुल आवंटित निधियों का 10 प्रतिशत महिला किसानों के प्रशिक्षण के लिए आवंटित करने का निदेश दिया गया है। (**परिशिष्ट II**)

परिशिष्ट I

2009-10 के दौरान (दिसम्बर, 2009 तक) पूर्वोत्तर राज्यों के कार्यक्रम

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	अनुमोदित गतिविधि/ कार्यक्रम/योजना	शुरू की गई गतिविधि/ कार्यक्रम/ योजना का ब्यौरा	लक्ष्य	उपलब्धियां (31.12.2009 तक)	बजट आवंटन	प्रयोग की गई राशि (31.03.2010 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढीकरण (i) फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान विश्वनाथ चरियाली (असम) (ii) प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग और किसानों के खेतों में बागवानी उपकरणों सहित	(i) किसानों और अन्य लाभार्थी समूहों को कृषि उपकरण के चयन, प्रचालन, अनुरक्षण, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन के संबंध में प्रशिक्षण (ii) (क) किसानों के खेतों में बागवानी उपकरणों सहित नये विकसित किए गए कृषि उपकरणों को दिखाना।	शारीरिक: प्रशिक्षण 700 कार्मिकों को मशीनों का परीक्षण - 10 मणिपुर-370 सिक्किम - 120 अरुणाचल प्रदेश-208 नागालैण्ड - 205	270 05 नागालैण्ड-202 प्रदर्शन		4.72 0.89 अरूणाचल प्रदेश - 0.26 नागालैण्ड-0.13 सिक्किम-0.21 करोड़ रुपये मणिपुर 0.08

	नये विकसित किए गए कृषि उपकरणों का प्रदर्शन (पूर्वोत्तर क्षेत्र से अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित किया गया।) फसल कटाई पश्चात् प्रौद्योगिकी और प्रबंधन	(ख) राज्य सरकारों द्वारा पहचान किए गए संस्थानों को किसानों के प्रशिक्षण को आउटसोर्सिंग करके (i) पीएचटी उपकरण का प्रदर्शन (ii) राज सहायता के माध्यम से पीएचटी उपकरणों का वितरण (iii) प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग	पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट नहीं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विनिर्दिष्ट नहीं	आयोजित किए गए सूचना नहीं सूचना नहीं	1.92	करोड़ रुपये 0.26 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए 0.25 करोड़ रुपये मणिपुर को जारी किए गए

परिशिष्ट II

विभाग के विभिन्न क्षेत्रों/योजनाओं के अंतर्गत महिलाओं के लिए लाभ की मात्रा

करोड़ रुपये में

क्र.सं.	प्रभाग/विषय क्षेत्र	योजना/घटक	योजनाओं/कार्यक्रमों में महिलाओं को लाभ की मात्रा
1.	यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी	प्रशिक्षण, परीक्षण और प्रदर्शन के माध्यम से कृषि यंत्रीकरण का संवर्धन और सुदृढीकरण	वर्ष 2009-10 के दौरान लगभग 2630 महिलाओं के अनुकूल उपकरणों को वितरित किया गया। महिलाओं के लिए अलग वास्तविक लक्ष्य निर्धारित किए गए और निधियों का 10 प्रतिशत उन्हें आवंटित किया गया।
		प्रशिक्षण की आउटसोर्सिंग और किसानों के खेतों में विकसित किए गए बागवानी उपकरणों से कृषि उपकरणों का प्रदर्शन	2009-10 के दौरान फार्म मशीनरी, प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान (एफएमपीटीआई) में (दिसम्बर, 2009 तक) कुल 484 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किए गए महिलाओं के अनुकूल 30 पहचान किए गए औजारों और उपकरणों की सूची को उन्हें लोकप्रिय बनाने हेतु और खेती में प्रचालन के लिए उपयोग में लाने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गयी।

			राज्य सरकारों को निदेश दिया गया कि वे आवंटित कुल निधियों में से 10 प्रतिशत निधियां निकटतम क्षेत्रों में महिला किसानों के प्रशिक्षण के लिए निर्धारित करें।